



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 कार्तिक, 1944 (श०)

संख्या - 529 राँची, गुरुवार, 10 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

19 अक्टूबर, 2022

संख्या 11/सू०अ०अधि०-05/2000 (खण्ड-1) का० 6566--सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16(5)(a) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन तथा भत्ते एवं सेवाशर्तों चुनाव आयुक्त के समान होगी।

2. विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार की गजट सं० 151 दिनांक 18.03.2021 द्वारा अधिसूचित "उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 2021" द्वारा इस संबंध में निम्नवत् संशोधन किया गया है:

"2(ख) उपनियम (2) "चौदह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "उन्तालीस हजार रुपये" शब्द रखे जाएंगे।"

3. उक्त अधिनियम के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय, नई दिल्ली के आदेश ज्ञापांक 193/1/2021 (I) दिनांक 19.03.2021 के द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है:-

“..... 2. The Commission has adopted the abovementioned amendment to rule 3B of Supreme Court Judges (Amendment) Rules, 1959, Accordingly, the monthly reimburseable charges towards defraying the services of an orderly and for meeting the expenses incurred towards secretarial assistance of Rs. 14,000 (fourteen thousand rupees) shall be substituted by Rs. 39,000 (thirty-nine thousand rupees).”

4. अतएव उपर्युक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प संख्या 5325 दिनांक 22.08.2022 के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 11/सू०अ०अधि०-05/2009- 6975 दिनांक 08.07.2014 यथा संशोधित विभागीय संकल्प सं० 9865 दिनांक 10.11.2015 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है:-

“ For the words “payment of **Fourteen Thousand rupees per month** for defraying the services of an orderly” the words “payment of **Thirty nine Thousand rupees per month** for defraying the services of an orderly and for meeting the expenses incurred towards secretarial assistance on contract basis” shall be substituted. The enhanced amount shall be paid to the retired Chief Information Commissioners w.e.f. 01.04.2021. The benefits of this amendment will not be applicable for the State Chief Information Commissioners appointed after the implementation of Right to Information (Amendment) Act, 2019. ”

5. उपर्युक्त संशोधन पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संलेख ज्ञापांक 6077 दिनांक 29.09.2022 में सन्निहित प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 10.10.2022 में मद संख्या 01 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव।
